कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-29-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त तारकेश्वर चौधरी उर्फ मुन्ना को नाबालिक के अपहरण व दुष्कर्म के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 23000/- रूपये के अर्थदण्ड दण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 291/2018 धारा- 363,366,376 भादवि व 3/ 4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **तारकेश्वर चौधरी उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 पृथ्वी राज चौधरी निवासी0 म.न. डी-3/52 मीरघाट थाना-दशाश्वमेध जनपद वाराणसी** को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 28-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा-363 भादवि 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा-366 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास 8000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा-4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त, को क्रमशः धारा-363 भादवि में 7 दिन व 366 भादवि में 15 दिन, व 4 पाक्सो एक्ट में 30 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी जेल में बिताई गयी अवधि सजा के अवधित में समायोजित की जाएगी। दोष सिद्ध द्वारा जमा की गयी अर्थदण्ड की राशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देय होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी